रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 13, 2014/आश्विन 21, 1936
No. 526] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2014/ASVINA 21, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2014

सा. का. नि.718(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 द्वारा यथा अपेक्षित कतिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 311(अ) तारीख 5 मई, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 5 मई, 2014 में प्रकाशित किए गए थे, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के समाप्त होने के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 8 मई, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त नियम पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (पंचम संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में नियम 135क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"135ख. पशुओं पर परीक्षित प्रसाधन सामग्रियों के आयात का प्रतिषेध- ओषधि और प्रसाधन सामग्री (पंचम संशोधन) नियम, 2014 के प्रारंभ होने के पश्चात् पशुओं पर परीक्षित किसी भी प्रसाधन सामग्री का देश में आयात नहीं किया जाएगा ।"

[फा. सं. एक्स-11014/11/2013-डीएफक्यूसी]

के. एल. शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक एफ 28-10/45-एच(1), तारीख 21 दिसंबर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 690(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2014 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

Notification

New Delhi, the 13th October, 2014.

G.S.R. 718 (E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, was published, as required by section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), vide notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), number G.S.R. 311(E), dated the 5th May, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 5th May, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette of the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 8th May, 2014;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:-

1. (1) These rules shall be called the Drugs and Cosmetics (Fifth Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force with effect from thirty days after the date of its publication in the official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, after rule 135-A, the following rule shall be inserted, namely:-

"135-B. *Prohibition of import of cosmetics tested on animals*.- No cosmetic that has been tested on animals after the commencement of the Drugs and Cosmetics (Fifth Amendment) Rules, 2014 shall be imported into the country.

[F.No. X.11014/11/2013-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. F.28-10/45-H (1) dated the 21st December 1945 and last amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 690(E), dated the 25th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054